अटाली दंगे का सबक अपराधी को अपराधी मानो न कि हिन्दू मुसलमान

पीढियों से साथ रहने वाले अचानक जानी दुश्मन हो जायें तो समाज की चिंता स्वाभाविक है। खूनी विभाजन के दौर में जिस अटाली गांव का साम्प्रदायिक भाईचारा पुरसुकून रहा हो वहां घरों में आग लगा कर लोग़ों को उजाड़ देना एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ गया है। सौभाग्य से दोनों तबकों ने बाहरी निहित स्वार्थों को खुल कर खेलने नहीं दिया है। पर सवाल है कि क्या शासन और प्रशासन वह मरहम लगा पायेंगे जो पुरानी शान्ति को वापस ले आये ?

मज़दूर मोर्चा बल्लबगढ

करीब एक पखवाड़े के तनाव एवं हिंसा के बाद, शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव अटाली में आम तौर पर अमन व शान्ति बहाल हो गयी है। गांव से पलायन कर थाना शहर में डेरा लगाये पड़े सैंकड़ों मुसलमान परिवार वापस अपने घरों को लौट गये हैं। लेकिन चन्द शरारती तत्व अभी भी नहीं चाहते कि लोग यहां अमन-चैन से रहें। ऐसे लोग कोई न कोई खुराफ़ात करने की फ़िराक में अब भी लगे हुए हैं।

पूरे प्रकरण में समझने वाला महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अपराधी केवल अपराधी होता है। वह न हिन्दू है न मुसलमान, न जाट न ब्राह्मण। क़ानून एवं व्यवस्था बनाये रखने वाली सरकारी एजेंसियां यदि इस बात को समझ लें और यथास्थिति उस पर अमल करें तो कभी परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकतीं। इस गांव में भी जब किसी ने पहला पत्थर मारा था या किसी घर में लूटपाट व आगजनी की थी तो उसे हिन्दू या मुसलमान घोषित करने की अपेक्षा अपराधी मान कर कार्यवाही की जाती तो यह बबाल इतना न फ़ैल पाता।

दरअसल इस तरह के बबाल कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा फैलाये जाते हैं। सन् 2013 में यू पी के मुज्जफ़्फ़रनगर में भी इसी तरह बड़े योजनाबद्ध तरीके से दंगा फ़ैलाया गया था। सैंकड़ों बेगुनाहों का खून तो जरूर बहा लेकिन वोटों की फ़सल इतनी अच्छी लहलहाई कि सड़यन्त्रकारियों को लोकसभा में 70 सीटें जरूर मिल गयीं। अब हरियाणा में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव सिर पर हैं। केन्द्र में मोदी व राज्य में खट्टर सरकार द्वारा बिना कुछ करे-धरे खाली-पीली लफ़्फ़ाजी के दम पर वोट तो केवल तभी मिल सकते हैं जब इनका साम्प्रदायिक ध्रुविकरण किया जाय। यही अटाली का एजेंडा है।

अटाली के करीब पखवाड़े भर चले साम्प्रदायिक तनाव से निपटने के नाम पर तमाम स्थानीय विधायकों व सांसद के अलावा राज्य के एक-दो मन्त्रियों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर खासी नौटंकी करी। यह मसला सुलझा, बेशक अस्थाईतौर पर, तो केवल एक ग्रामीण शब्बीर की एक हफ़्ते बाद की भावानात्मक तकरीर से। उन्होंने कहा था कि गांव वालों ने यदि मुसलमानों को मारना ही होता तो 1947 में ही न मार देते। उन्हें तो इसी गांव में रहना है और खूब मिल जुल कर प्यार-प्रेम से। जैसे ये (हिन्दू) रखेंगे वैसे ही रहेंगे। इस भावानात्मक तकरीर से दोनों पक्षों के मौजिज लोगों की आंखें एकदम नम हो गयी। दोनों पक्ष एक दूसरे के गले मिल गये। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, सांसद व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा देखते रह गये। इसके तुरन्त बाद थाना शहर में डेरा डाले पड़े मुसलमान बसों में भर कर अपने गांव की ओर निकल लिये।

दिनांक 7 जून को इस संवाददाता ने गांव अटाली का दौरा किया। पुलिस बल ज्यों का त्यों गांव में तैनात जरूर है लेकिन वह तनाव में नहीं है। कोई सिपाही किसी चौपाल में सो रहा है तो ताश के खिलाड़ी ताश खेलने में व्यस्त हैं। गलियों में पुलिस के बेरिकेड अब भी लगे हैं, खासकर मुस्लिम आबादी की ओर जाने वाली गलियों में। कभी कभार पुलिस वाले आने-जाने वाले बाहरी व्यक्ति से पूछताछ भी कर लेते हैं।

दोनों पक्षों के लोग़ों से विस्तृत बात-चीत करने पर स्पष्ट पता चलता है कि इनके दिल मिले नहीं हैं और पूरी तरह मिलने की संभावनायें भी क्षीण नज़र आईं। गांव के बहुसंख्यक बेशक आर एस एस की किसी भी प्रकार की दखलंदाज़ी से इंकार करते है लेकिन भाषा वही बोलते हैं। मसलन, इनका लगाव एवं झुकाव पाकिस्तान की ओर है। उनकी टीम जीतने पर खुश होते हैं आदि-आदि। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मुसलमानों के अधिकांश लोग तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें मेहनत-मज़दूरी करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाने से ही फ़ुर्सत नहीं है। जिन दो-चार लोग़ों ने कुछ ज़्यादा पैसा कमा लिया है उनसे वह पैसा झिल नहीं रहा है, इसलिये वे ही लोग़ इस तरह के उत्पातों को हवा देने का काम कर रहे हैं।

हिन्दू यह भी दावा करते हैं कि जब इनका गांव बसा था तो गांव का 'खेड़ा देवत' जहां बनाया गया था वहीं पर मुसलमान मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। जबकि गांव ने इन्हें 4 कनाल ज़मीन गांव के बाहर अलग से दे रखी है, वहां क्यों नहीं मस्जिद का निर्माण करते? जवाब में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निर्माण स्थल पहले गांव के बाहर बतौर कब्रिस्तान इन्हें मिला हुआ था। आबादी बढने के चलते कब्रिस्तान के लिए 4 कनाल जगह इन्हें गांव के बाहर (पंचायती जमीन में से) मिल गई। इसके बाद पुराने कब्रिस्तान को बतौर मस्जिद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, गत बीसियों बरस से। जब तक टीन-टप्पर के सहारे काम चलता रहा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, परन्तु जब पक्का निर्माण होने लगा तो यह झगड़ा पैदा हो गया।

देखा जाय तो मसला कुछ भी नहीं है। दोनों ही पक्ष के अधिकांश लोग मेहनत-मज़दूरी एवं खेती-किसानी करने वाले हैं इन सभी के सामने मूलभूत समस्याओं के रूप में बढती महंगाई व बेरोज़गारी है। बिजली के दर्शन कभी कभार ही होते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिये ढंग के स्कूलों का नितान्त अभाव है तो हारी-विमारी में नीम-हकीमों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर जीवन को जीना किसी संघर्ष से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों ही पक्ष के लोग अपने जीवन के विकट परिस्थितियों का कारण व निदान खोजने की बजाय अल्ला व भगवान के नाम पर राजनीति की चिन्ता में न केवल दुबले हुए जा रहे हैं बल्कि किसी भी हद तक हिंसक हो सकने को तत्पर हो गये थे

अजरौदा चौक पर एसीपी दफतर के पीछे तथा रामा पैलेस तथा दशमेस प्लाजा के बीच में जिला परिषद की चेयरपर्सन योगिता भाटी व उनके पति मुकेश भाटी की निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग चिल्ला-चिल्लाकर बता रही है कि निगम आयुक्त और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर कितने 'ईमानदार' हैं। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेसी होते हुए भी इन्होंने यह अवैध निर्माण कांग्रेस के राज में नहीं किया।

एसएचओ व एसीपी ने फ़साया, सीपी ने बचाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) एन.एच-5 एल/80 निवासी सरदार गुरूचरण सिंह ने शहर में हो रहे सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े व अवैध निर्माणों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, हरियाणा सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी, नगर निगम कमिश्नर, संयुक्त आयुक्त नगर-निगम, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उपायुक्त फ़रीदाबाद व अन्य विभागों को कई बार लिखित शिकायतें दी। जिसमें गुरूचरण सिंह ने बिल्डरों द्वारा धड़ल्ले से सरकारी ज़मीनों व अवैध निर्माण की फ़ोटो सहित सूची की जानकारी दिनांक 29,4,15 को सी एम वीन्डो पर भी दी। जिसमें एन एच 5 के बिल्डर-नरेश आहूजा, अशोक आहूजा, राजू कोहली, चांद, बॉबी धुप्पड़ व इनके तथाकथित सरगना कुलदीप चोपड़ा उर्फ़ बबू के कुछ महीनों में तैयार 300-400 अवैध निर्माणों व शॉपिंग काम्पलैक्स की जानकारी भी दी।

गुरूचरण सिंह करीब एक वर्ष से अवैध निर्माणों व एन-एच 5 में इन बिल्डरों द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर फ़्लैट बनाकर बेचने की जानकारी लगातार इन विभागों में कर रहा था। बावजूद इसके नगर-निगम अधिकारियों की सांठ-गांठ से अवैध निर्माण बनते रहे। दिनांक 4,2,15 को इन बिल्डरों के साथी अमरजीत ने गुरूचरण की दुकान पर जाकर मारपीट करी व जान से मारने की धमकी भी दी। जिसको लेकर गुरूचरण ने थाना एन आई टी प्रभारी राम किशन को एक लिखित शिकायत भी दी। जिसपर थाना एन आई टी में तैनात ए एस आई कैलाश ने बिल्डरों के साथ अमरजीत पर कोई कार्यवाही न कर उल्टा गुरूचरण पर दबाव बनाकर फ़ैसला करवा दिया। जिसके बाद इन बिल्डरों का सरगना कुलदीप चोपड़ा उर्फ़ बबू लगातार गुरूचरण को दबाव देता रहा कि तुम अपनी लिखित शिकायतें वापिस ले ले अन्यथा उसकी सेहत के लिये ठीक नहीं होगा।

गुरूचरण ने दिनांक 24 अप्रैल 15 को पुलिस कमिश्नर से मिल कर सारी जानकारी दी व बबू के ख़िलाफ़ एक लिखित शिकायत भी दी। जिस पर गुरूचरण को आज तक भी थाना एनआईटी में नहीं बुलाया कुलदीप चोपड़ा ने भी गुरूचरण के खिलाफ़ 9,5,15 को कमिश्नर कार्यालय में एक लिखित शिकायत दे दी जिसपर दिनांक 20,5,15 को थाना एन आई टी में गये मनीष बत्रा के फ़ोन से कुलदीप चोपड़ा के साथी मनोज शर्मा को ए एस आई कैलाश ने फ़ोन किया जो कि कुलदीप चोपड़ा के साथ था व कुलदीप चोपड़ा को उसकी दी गई शिकायत पर थाना एन आई टी बुलाया व कुछ देर बाद गुरूचरण को भी थाना एन आई टी बुलाया पूछताछ के दौरान कुलदीप चोपड़ा की दी गई शिकायत को झूठा पाया गया जिस पर ए एस आई कैलाश ने कुलदीप चोपड़ा व मनोज शर्मा से कहा कि तुम लोग गुरूचरण सिंह को मना लो नहीं तो मुझे कुलदीप चोपड़ा पर झूठी शिकायत देने पर कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। जिस पर कुलदीप चोपड़ा व उसके साथी मनोज शर्मा ने वही मौजूद मनीष बत्रा से गुरूचरण को मनाने के लिए कहा लेकिन गुरूचरण ने 10 मिनट का टाईम मांगा व उस दस मिनट में थाना प्रभारी सुशीला को सारी जानकारी दे दी।

थाना प्रभारी से मिलने के बाद गुरूचरण ने कुलदीप चोपड़ा उर्फ़ बबू से फैसले को मना कर दिया व एएसआई कैलाश से कहा कि कुलदीप चोपड़ा पर कानूनी कार्यवाही करो। जिस पर थाना एन आई टी में कुलदीप चोपड़ा ने गुरूचरण से माफ़ी मांगी व कहा कि इस सारे मामले को खत्म करो इसके लिये मैं तुम्हें रुपये भी दे दूंगा जिस पर तुरन्त गुरूचरण ने थाना प्रभारी को बताया कि बिल्डर मुझे रुपये देने का भी दबाव बना रहे हैं। इसके बाद कुलदीप के साथी मनोज शर्मा ने गुरूचरण को अपने साथ अपने कार्यालय 5सी/51 में ले गया व गुरूचरण के साथ गए मनीष बत्रा व मनोज शर्मा ने एक लाख नौ हजार रुपये में गुरूचरण सिंह को मना लिया व थाने जाकर गुरूचरण ने सारी बात थाना प्रभारी को बताई जिस पर कुलदीप चोपड़ा ने एक लिखित भी दी कि मैंने जो शिकायतें सीपी कार्यालय में दी है वो मैंने अपने वकील के बहकावे में आकर दी थी जिस पर हमारा समझौता हो गया है। अब इन पर और न फ़रमाया जाय।

एएसआई के कैलाश के कमरा नं.-3 में 50,000 रुपये का पैकेट मनोज शर्मा ने गुरूचरण को कुलदीप चोपड़ा मनीष बत्रा, बिल्डर बॉबी, गोपाल के सामने दे दिया व बाकी रुपये में 50,000 रुपये अपने दफ़्तर 20,5,15 को व 9000 रुपये दिनांक 21,5,15 को कुलदीप चोपड़ा ने गुरूचरण को दे दिए। जिसके बाद एएसआई कैलाश गुरूचरण की दुकान पर अपना हिस्सा लेने पहुंचा व 4100 रुपये गुरूचरण से ले लिये। मनीष बत्रा ने मनोज शर्मा व कुलदीप चोपड़ा की फ़ैसले के टाईम रिश्वत की गारंटी ली थी जिसको लेकर कैलाश ने मनीष को फोन कर दोनों पक्षों की रिश्वत मांगी, जिसकी फ़ोन रिकार्डिंग भी है। लेकिन गुरूचरण ने रुपये पूरे मिलते ही थाना प्रभारी को पूरे घटनाक्रम के साथ एक लिखित दे दी कि इन बिल्डरों पर रुपये देने का भी मामला दर्ज किया जाय। अगर मैं इनसे ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो इन्होंने पुलिस की जानकारी में क्यों नहीं डाला? यह सारी जानकारी जब एएसआई कैलाश को मिली तो उसने मनोज शर्मा क़ो फोन कर सूचना दी। साथ ही एसीपी. कार्यालय में तैनात राम किशन से उनकी बात करवा एक लिखित शिकायत कुलदीप चोपड़ा से करवा दी कि गुरूचरण व मनीष बत्रा ने उनसे जबरन रुपये वसूले हैं। जबकि उससे एक दिन पहले गुरूचरण ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी हुई थी।

जब कुलदीप चोपड़ा की ए सी पी लांबा से सैटिंग हो चुकी थी तब ए सी पी ने एस एच ओ को आदेश दिया कि गुरूचरण व मनीष बत्रा पर एक मुकदमा दर्ज कर दो। करीब एक घन्टे बाद दिनांक 22,5,15 को थाना प्रभारी ने गुरूचरण और मनीष को थाने बुलाकर पूछा कि जो शिकायत आपने मूझे 21,5,15 को दी थी उसकी जगह एक नई शिकायत दे दो। जिसमें थाने में लेन-देन का जिक्र मत करना। गुरूचरण से नई शिकायत लेकर उस पर भी वही नम्बर चढा दिया। जो गुरूचरण ने 21,5 15 को दी थी और 21,5,15 की असल शिकायत को थाना प्रभारी ने फ़ाड़ दिया। लेकिन गुरूचरण ने उस शिकायत की एक फ़ोटो कॉपी रात को ही करा कर रख ली थी। दिनांक 22,5,15 को बांगा गेस्ट हाऊस के मालिक अनिल बांगा, कुलदीप चोपड़ा व मनोज शर्मा शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक एएसआई कैलाश व एसएचओ सुशीला को मोटी रकम देकर सरदार गुरूचरण व मनीष बत्रा पर मामला दर्ज करवा कर ही गए। थाना प्रभारी ने एफ़ आई आर नम्बर 155/धारा-384/120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिनांक 22/5/15 को कुलदीप चोपड़ा के साथी बिल्डर नरेश चावला ने देर रात मनीष को बताया कि तुम शहर से चले जाओ आज रात एस एच ओ तुम्हे घर से उठा कर ले जाएगी। कुलदीप चोपड़ा ने पत्रकार अनिल अरोड़ा व नीरज को जल्दी से कहकर तुम्हारी फ़ोटो खींचने का प्रबंध करवा रखा है। व विधायक विपुल गोयल के भतीजों से मिलकर पत्रकारों को बुला कर सैटिंग भी कर रहा है। जिसके बाद मनीष बत्रा ने दिनांक 4,6,15, व 5,6,15 को सीपी साहब से मिलकर सारे कागजात दिखाए व सारा घटनाक्रम विस्तार से बताया। जिसके बाद एएसआई कैलाश को लाईन हाजिर व एसीपी के रीडर रामकिशन को भी सी पी साहब के आदेश के बाद हटा दिया गया।